न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 120/2024
निर्णय दिनांक : 28.02.2025
जीसीएमएस संख्या– 2024/264 दायर दिनांक – 18.12.2024

रामेश्वर सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति रावणा राजपूत निवारी ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 459/180 तादादी 3.4015 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम रामसिंह पुत्र रेवन्तसिंह के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम रामेश्वर सिंह पुत्र रेवन्त सिंह है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम रामसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम रामेश्वरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति रावणा राजपूत है। रामसिंह व रामेश्वरसिंह दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामसिंह पुत्र रेवन्तसिंह के स्थान पर रामेश्वरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम रामसिंह पुत्र रेवन्तसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 459 / 180 तादादी 3.4015 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम रामसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति रावण राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार के स्थान पर रामेश्वरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को टंकित करवाया जाकर खुले अदालत में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

रामेश्वर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 120 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 459/180 तादादी 3.4015 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम रामसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति रावण राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार के स्थान पर रामेश्वरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
.... फीसदी
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28 माह 02 2025**

दस्तखत ....
ओहदा उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये